भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 179

दिनांक 02.02.2021/13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

†179. श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

श्रीमती पूनम महाजनः

श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोजः

कुंवर दानिश अलीः

कुमारी राम्या हरिदासः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में अपराध वार और राज्य-वार कितने व्यक्ति गिरफ्तार और दंडित किए गए हैं;

(ग) महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक घटनाओं को रोकने और उन पर कार्रवाई करने में स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कितने मामलों का पता चला है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) देश के विभिन्न न्यायालयों में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के लंबित मामलों का उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का कोई उपाय विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई बजट आबंटित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में महिलाओं के विरुद्ध ऐसे अपराधें को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जी किशन रेड्डी)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इसे अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में प्रकाशित करता है। वर्ष 2019 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के विभिन्न अपराध

शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों के इन आंकड़ों का विश्लेषण करने से इसमें कोई एक समान प्रवृत्ति नजर नहीं आती है।

(ख): उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग): आंकड़े केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ): एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ङ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार ने बलात्कार से संबंधित लंबित मामलों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज मामलों के शीघ्र विचारण और निपटान हेतु पूरे देश में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 331 पॉक्सो न्यायालयों सहित 609 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(च): वित्त वर्ष 2017-18 से इस वित्त वर्ष तक गृह मंत्रालय का बजट आबंटन 4211.58 करोड़ रुपये है।

(छ): सरकार ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहलें की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावशाली निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी किए जाने तथा आरोप पत्र दायर करने और विचारण को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है (सीआरपीसी की धारा 173)।
ii. आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को नागरिकों हेतु साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है।

iv. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। ये परियोजनाएं, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी को अपनाने और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के क्षमता संवर्धन सहित महत्वपूर्ण संसाधनों के विकास हेतु महिलाओं के प्रति अधिक अपराध वाले स्थलों (हॉट स्पॉट्स) की पहचान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं।

v. गृह मंत्रालय ने पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसका पता लगाने के लिए "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण इकाई की स्थापना करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उनका स्तरोन्नयन करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभिविन्यास किट के रूप में 14,950 यौन हमला साक्ष्य संग्रहण किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों के पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए भी दो परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी करता रहा है, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

****

अनुलग्नक

वर्ष 2019 के दौरान महिलाओं (बालिकाओं सहित) के प्रति कुल अपराध के तहत वर्ष के अंत में विचारण के लिए लंबित मामलों (सीपीटीईवाई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीपीटीईवाई
1	आंध्र प्रदेश	37493
2	अरुणाचल प्रदेश	2506
3	असम	66521
4	बिहार	81678
5	छत्तीसगढ़	24631
6	गोवा	1563
7	गुजरात	85531
8	हरियाणा	23456
9	हिमाचल प्रदेश	7173
10	जम्मू और कश्मीर *	13049
11	झारखंड	19417
12	कर्नाटक	56595
13	केरल	65994
14	मध्य प्रदेश	89462
15	महाराष्ट्र	207220
16	मणिपुर	763
17	मेघालय	2238
18	मिजोरम	631
19	नागालैंड	181
20	ओडिशा	114155
21	पंजाब	8693
22	राजस्थान	83860
23	सिक्किम	277
24	तमिलनाडु	19713
25	तेलंगाना	39620
26	त्रिपुरा	4115
27	उत्तर प्रदेश	184437
28	उत्तराखंड	6836
29	पश्चिम बंगाल	257229
	कुल राज्य	**1505037**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	837
31	चंडीगढ़	752
32	दादरा एवं नगर हवेली **	106
33	दमण एवं दीव **	94
34	दिल्ली	56409
35	लक्षद्वीप	43
36	पुदुचेरी	523
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**58764**
	कुल (अखिल भारत)	**1563801**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया

*अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

** अब दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र का एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विलय कर दिया गया है।

*****